



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्या:- 22/2024 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/00045),

पीठारसीन अधिकारी:- श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. शिवराम उर्फ चीमा पुत्र नारायनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
2. मोती पुत्र दौजी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
3. मानसिंह पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
4. तोता पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग

-वादीगण


बनाम

1. उर्मिला पुत्री भंवरसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
2. देवी पत्नि भंवरसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
3. थानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
4. गौरव पुत्र पूरन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
5. ओमप्रकाश पुत्र देवीसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
6. प्रेमबाबू पुत्र देवीसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
7. केशो पुत्र भोली जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
8. हेमराज पुत्र भोली जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
9. हेतराम पुत्र भोली जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
10. भरतसिंह पुत्र भोली जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
11. मोहनलाल पुत्र नन्नू जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
12. सियाराम पुत्र नन्नू जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0
13. चरनसिंह पुत्र नन्नू जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग राज0- मृतक
- 13/1- नवरत्न पुत्र चरनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
- 13/2- पूजा पुत्री चरनसिंह आयु 16 वर्ष जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा वेवा चरनसिंह

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज


- 13/3- पुष्पा धर्मपत्नि चरनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
14. नारद सिंह पुत्र पदम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
15. मोहनस्वरूप पुत्र पदम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
16. रामवती पुत्री पदम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
17. मीरा पुत्री पदम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
18. मलोदा पुत्री पदम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
19. भूरसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
20. भगवानसिंह पुत्र लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
21. रघुवीर पुत्र लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
22. हरवीर पुत्र लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
23. फूला पुत्र लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
24. गीता पुत्री लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
25. मिथलेश पुत्री लटूर जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
26. जगदीश पुत्र सरमन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
27. मुन्नी पुत्री सरमन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
28. शांति पुत्री सरमन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
29. सुखराम पुत्र ग्यासी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
30. हरिबाबू पुत्र तेजराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
31. बच्चू पुत्र तेजराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
32. विजय पुत्र ओमी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
33. प्रवीण पुत्र ओमी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
34. अजय पुत्र ओमी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
35. जीतू पुत्र ओमी जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
36. हेमन्त कुमार पुत्र सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
37. योगेश पुत्र सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
38. विमला पत्नि सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
39. राजू पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
40. मधु पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग

—असल प्रति०



अधिकारी
डीग (डोग) राज

41. वीना पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
42. पुष्पा पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
43. फूलवती पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
44. सरोज पुत्री सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
45. राधेश्याम पुत्र हीरालाल नवासा सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
46. सोनदेई पुत्री हीरालाल नवासी सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
47. सीताराम पुत्र हीरालाल नवासा सुखराम जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
48. धर्मवती पुत्री विशनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
49. नरेश पुत्र विशनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
50. लाडली पुत्र विशनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
51. लीलावती पत्नि विशनसिंह जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
52. धर्मेन्द्र पुत्र किशन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
53. श्यामवती पुत्री किशन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
54. चन्द्रवती पुत्री किशन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
55. चांदनी पुत्री किशन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
56. छवि पुत्री किशन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
57. महेश पुत्र लक्ष्मन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
58. ज्ञानवती पुत्री लक्ष्मन जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
59. गोपाल पुत्र रमेश जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
60. टिकेश पुत्री रमेश जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
61. ममता पुत्री रमेश जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
62. रेखा पुत्री रमेश जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
63. बनवारी पुत्र रमेश नाबालिग जरिये संरक्षक भाई गोपाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
64. प्रभू पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
65. महावीर पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
66. कपूर पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग


उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज

67. किशनश्याम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
68. श्यामबाबू पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
69. दिनेश पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग
70. शंकर पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी भूडागेट डीग तहसील व जिला डीग


-तरतीवी प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांक:-03.02.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 3148/0.20, 3149/0.20 वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। हाल आराजी खसरा नंबर 3148/0.20, 3149/0.20 स्थित कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग की आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी के हाल आराजी खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 स्थित कस्बा डीग द्वितीय थे। जिसमें वादीगण एवं तरतीवी प्रति० के पूर्वज नारायण दौजी सोहनलाल, सुखो वेवा रामचन्द व मान सिंह पुत्र रामचन्द 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे और खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 स्थित वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय के 1/3 हिस्से पर वादी एवं तरतीवी प्रति० के पूर्वजों का कब्जा था और उक्त आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 स्थित वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 3148/0.20, 3149/0.20 वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय की आराजी की बावत में मनबट के आधार पर मौखिक रूप से विभाजन हो गया था और उक्त विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 असल प्रति० के हिस्से में आये थे और असल प्रति० ने उक्त खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय के वर्ष 1992 में पृथक पृथक बयनामा अपने हिस्से के अनुसार सभी मिलकर करा दिये थे और उक्त बयनामों में दिनांक 02/11/92 को प्रति० संख्या 5 व 6 के पिता देवी, 14 लगायत 18 के पिता पदम सिंह, प्रति० संख्या 19 भूरा सिंह व प्रति. संख्या 19 की माता पार्वती वेवा रामप्रसाद एवं प्रति० संख्या 11 लगायत 13 के पिता पूरन ने खसरा हाल आराजी खसरा नंबर 3150/0.30, 3136/0.34 स्थित कस्बा डीग द्वितीय में से 1/3 हिस्से में से 3/4 यानि कि सम्पूर्ण का 1/4 हिस्सा रतन सिंह पुत्र बांके निवासी बरौलीचौथ, नारायण पुत्र लालाराम, विक्रम सिंह पुत्र किशन सिंह, राजसिंह पुत्र विक्रम सिंह, रघुवीर पुत्र लालाराम, किशन सिंह पुत्र ऐदल को उक्त प्रति० ने द्वितीय बयनामा खसरा नम्बर 3136/0.34 का हि० 1/4 का बयनामा नन्नु बनाम पदम कुसमाकर व अन्य को दिनांक 02.11.1992 को एवं तृतीय बयनामा उक्त प्रति० ने खसरा नम्बर 3136/0.34 के 1/4 हिस्से का दिनांक 02.11.1992 को करा दिया था एवं उक्त असल प्रति० की खसरा नम्बर 3150/0.30, 3136/0.34 कस्बा डीग द्वितीय में जो भूमि वादीगण एवं असल प्रति० के पूर्वजों के नाम थी उसका बयनामा आपसी मौखिक करार के आधार पर असल प्रति० के कहे अनुसार वादीगण एवं तरतीवी


उपखण्ड अधिकारी
डोग (डीग) राज.

प्रति० के पूर्वज नारायण,दौजी,सौहनलाल,रामचन्द के वारिसान द्वारा खसरा नम्बर 3150/0.30 में से 1/3 हिस्से का बयनामा दिनांक 02.11.1992 को देवेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट नि० ग्राम सिनसिनी के हक में निष्पादित किया था तथा उक्त करार के आधार पर तरतीवी प्रति० संख्या 66 लगायत 71 के पिता व बाबा तेजराम एवं प्रति० संख्या 72 सुखराम पुत्र ग्यासी ने खसरा नम्बर 3150/0.30 में से 1/3 हिस्से का बयनामा दिनांक 02.11.1992को लक्ष्मण,बाबूलाल पुत्रगण घनश्याम जाति जाट नि० सिनसिनी को करा दिया था और वादीगण के पिता नारायण,दौजी व रामचन्द के बेवा सुखो ने खसर नम्बर 3136/0.34 के 1/3 हिस्से का बयनामा दिनांक 02.11.1992 को साहव सिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी भूडा गेट डीग, करन सिंह पुत्र घनश्याम,हरिश्चन्द्र पुत्र रामकिशन,रूपकिशोर पुत्र पदमसिंह नि० ग्राम सिनसिनी, गिर्राज पुत्र रामचन्द नि० डीग,लालाराम पुत्र घनश्याम,हरीसिंह पुत्र प्रेम सिंह,सीताराम पुत्र केशवदेव के पक्ष में दिनांक 2.11.1992 को निष्पादित करा दिया था। उक्त आराजी खसरा नंबर 3150/0.30, 3136/0.34 की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा असल प्रतिवादीगण के पूर्वज तेजराम, सुखराम पुत्रगण ग्यासी, नन्नु व लटूर पुत्रगण गंगाधर, पदम, देवीसिंह व भूरासिंह पुत्रगण रामप्रसाद, देवी पत्नि भंवरसिंह, थानसिंह, पूरनसिंह पुत्रगण भंवरसिंह, उर्मिला पुत्री भंवरसिंह, नारायण, दौजी, सोहनलाल पुत्रगण भैरव, मानसिंह पुत्र रामचन्द द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड पांच किता वयनामाओं द्वारा दिनांक 02.11.1992 को हस्तान्तरण कर दिया था और उक्त वयनामाओं में खसरा नंबर 3150/0.30, 3136/0.34 के बेचान के समय अपनी सहमति दे दी थी। इस प्रकार वादीगण ने यह कथन किया है कि असल प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया जा चुका है। वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में मद संख्या 3 में अपना सजरा वंशावली पेश किया है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 3148/0.20, 3149/0.20 वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग की आराजी में वादीगण संख्या 1 शिवराम उर्फ चीमा पुत्र नारायण 1/4 हिस्से का,वादी संख्या 2 मोती पुत्र दौजी 1/16 हिस्से का एवं तरतीवी प्रति० संख्या 51 व 52, 1/16 हिस्से का, तरतीवी प्रति० संख्या 45 लगायत 50, 1/80 हिस्से के एवं तरतीवी प्रति० संख्या 53 लगायत 57, 1/80 हिस्से के एवं वादी संख्या 3 मान सिंह पुत्र रामचन्द 1/4 हिस्से का एवं वादी संख्या 4 एवं तरतीवी प्रति० संख्या 58 लगायत 65, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाकर वर्णित आराजीयात पर प्रति० को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा मजाहमत मदाखलत नहीं किये जाने हेतु पावंद फरमाया जावे।


न्यायालय द्वारा वादीगण के दावे को दिनांक 19.03.2024 को दर्ज कर जरिये सममन प्रतिवादीगण को तलव किया गया और दिनांक 09.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 11, 12, 20 लगायत 28 की ओर से श्री मुकेश कुमार एडवोकेट ने एवं प्रतिवादी संख्या 43, 44, 46 व 51 से 57, 59, 64, 65, 72 की ओर से वकालत नामा पेश किया तथा वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया। दिनांक 16.08.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09, 14, 15, 19, 20, 39, 40, 41, 53 से 59, 61 से 67 की ओर श्री भरत सिंह ने वकालत नामा पेश किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 1 नियम 10 सी० पी० सी० पर बहस सुनी गई और वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वादीगण ने


उपरोक्त अधिकारी
डीग (डीग) राज

संशोधित शीर्षक पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 व प्रतिवादी संख्या 13/1 से 13/3 व 14 से 56 एवं 57 लगायत 72 की ओर से इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा पेश करने पर तनकीयात कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 सम्वत् 2073 लगायत 2075, प्रदर्श 3 हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2075, प्रदर्श 4 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 तेजराम बनाम लक्ष्मण सिंह, प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 नन्नु बनाम श्रीमती पदम कुसमाकर, प्रदर्श 6 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 पदम बनाम रतनसिंह, प्रदर्श 7 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 नारायण बनाम देवेन्द्र, प्रदर्श 8 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 नारायण बनाम साहब सिंह, प्रदर्श 9 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.11.1992 तेजराम बनाम श्रीमती मीना, प्रदर्श 10 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041, प्रदर्श 11 जमाबन्दी सम्वत् 2049, प्रदर्श 12 जमाबन्दी सम्वत् 2045 लगायत 2048 को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में पेश किया है तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 शिवराम द्वारा उक्त दस्तावेजात को प्रदर्शित किया है तथा दिनांक 29.11.2024 को वादी साक्ष्य बन्द की जाकर दिनांक 04.12.2024 को डी.डब्ल्यू. 01 के रूप सुखराम पुत्र ग्यासी के बयान लेखबद्ध किये गये।

उक्त मुकदमें में दिनांक 08.01.2025 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी ने प्रति 0 संख्या 56 तोताराम को तर्क कर संशोधित शीर्षक पेश किया गया और उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान यह कथन किया कि वर्ष 1992 में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के समय जिनमें से कुछ पक्षकार अब भी जीवित हैं के दौरान आपसी पारिवारिक समझौता हो गया था और समझौता के मुताबिक हाल आराजी खसरा नंबर 3150/0.30, 3136/0.34 स्थित कस्बा डीग द्वितीय की आराजी को असल प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा अपने बट में ले लिया था और हाल खसरा नंबर 3148/0.20, 3149/0.20 की आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई थी और उक्त मौखिक पारिवारिक समझौता होने के बाद असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गान द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 02.11.1992 को पांच किता रजिस्टर्ड वयनामाओं से आवासीय प्रयोजनों के लिये हस्तानान्तरण कर दिया था और उक्त वयनामा दिनांक 02.11.1992 को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान द्वारा खसरा नंबर 3150/0.30, 3136/0.34 के वयनामा के समय अपनी सहमति दे दी थी। जिस कारण खसरा नंबर 3148/0.20, 3149/0.20 से असल प्रतिवादीगण का हिस्सा समाप्त हो गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त खसरा नंबर 3148/0.20, 3149/0.20 में असल प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की मृत्यु के बाद विरासतन उनके नाम गलत दर्ज कर दिये हैं। जिन्हें कलमजन किया जाकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 3148/0.20, 3149/0.20


अध्यक्ष अधिकारी
डोग (डोग) राज.

के सालिम रकबा पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त मुकदमें में इकबाल दावा पेश किया गया है और प्रतिवादीगण को वादीगण के दावा को डिक्री किये जाने में कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


हमने वादीगण के वादपत्र,प्रति० के इकबाल दावे, गवाह पीडब्ल्यू-1 मोती पुत्र दौजी, पीडब्ल्यू-2 शिवराम उर्फ चीमा,डीडब्ल्यू-1 सुखराम उर्फ सूखा, प्रदर्श-1 व 2 जमाबन्दी सम्बत 2073-2075,खसरा नम्बर 3148 रकबा 0.2000, खसरा नम्बर 3149 रकबा 0.2000 खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.03,प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्बत 2073-2075 खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.34 खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.30 प्रदर्श-4 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.92 जिसमें आराजी खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.30 को तेजाराम,सुखराम पुत्रगण ग्यासी के द्वारा अपना सम्पूर्ण हि० 1/3 लक्ष्मन सिंह पुत्र घनश्याम व बाबूलाल पुत्र घनश्याम सिंह, प्रेमसिंह पुत्र सांमलिया,गेंदा सिंह पुत्र हीरालाल,बहादुर सिंह पुत्र दामोदरसिंह,राजेन्द्रसिंह पुत्र घनश्याम सिंह विक्रय किया है।

प्रदर्श-5, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.1992 को खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.34 के हिस्सा 1/3 में से हि० 3/4 यानि सम्पूर्ण रकबा के 1/4 हिस्से अपना सम्पूर्ण हिस्सा नन्नु व लटूर पुत्रगण गंगाधर,पदम,देवी सिंह व भूरा सिंह पुत्रगण रामप्रसाद व मुस्मात पारवती वेवा रामप्रसाद,मुस्मात देवो वेवा अमर सिंह व थान सिंह व पूरन सिंह पुत्रगण अमर सिंह व उर्मिला पुत्री अमर सिंह के द्वारा श्रीमति पदम कुसुमाकर धर्म पत्नी सुरेश पाराशर व श्रीमति उज्जवल धर्म पत्नी विक्रम सिंह,प्रेमसुख पुत्र कलुआराम,दुर्गाप्रसाद पुत्र सूखाराम व रघुवीर पुत्र गुट्टीराम व महेन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह व गिर्राज प्रसाद पुत्र जीवनदास को विक्रय किया है।

प्रदर्श-6, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.1992 को खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.30 में अपने हिस्सा 1/3 में 3/4 हिस्से के यानि सम्पूर्ण रकबा के 1/4 हिस्से को पदम देवी सिंह पुत्रगण रामप्रसाद व भूरा सिंह पुत्र रामप्रसाद व मुसम्मात पारवती वेवा रामप्रसाद,नन्नु व लटूर पुत्रगण गंगाधर व मुसम्मात देवो वेवा अमर सिंह व थान सिंह पूरन सिंह व उर्मिला पुत्री अमर सिंह ने रतन सिंह पुत्र बाकेराम,नारायनसिंह पुत्र लालाराम,विक्रम सिंह पुत्र किशन सिंह,राजसिंह पुत्र विक्रम सिंह व रघुवीर सिंह पुत्र हीरालाल,किशन सिंह पुत्र ऐदल सिंह को विक्रय किया है।

प्रदर्श-7, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.92 आराजी खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.30 में हिस्सा 1/3 को नारायन व दौजी,सोहनलाल पुत्रगण भैरों व सुक्खो वेवा रामचन्द व मान सिंह पुत्र रामचन्द ने देवेन्द्र सिंह पुत्र घनश्यामसिंह, गजेन्द्रपाल सिंह पुत्र गंगासिंह व वीरेन्द्रसिंह पुत्र महाराज सिंह,राधेश्याम पुत्र सोरन सिंह व वल्देव सिंह पुत्र सोरन सिंह व लक्ष्मीदेवी धर्म पत्नी सतीश व सतीशचन्द पुत्र मंगतूराम को विक्रय किया है।

प्रदर्श-8, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.92 आराजी खसरा नम्बर 3736 रकबा 0.34 में अपना हि० 1/3 नारायन व दौजी व सोहनलाल पुत्रगण भैरों व मुस्मात सुक्खो वेवा रामचन्द व मान सिंह पुत्र रामचन्द ने साहव सिंह पुत्र प्रेम सिंह व करन सिंह पुत्र घनश्यामसिंह व हरिश्चन्द पुत्र रामकिशन व


उपग्रह अधिकारी
डोग (डोग) राज

रूपकिशोर पुत्र पदमसिंह व गिराज प्रसाद शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा व लाल सिंह पुत्र घनश्याम सिंह व हरीसिंह पुत्र प्रेमसिंह व सीताराम पुत्र केशवदेव को विक्रय किया है।

प्रदर्श:-9, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.92 आराजी खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.34 में हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण तेजाराम व सुखराम पुत्रगण ग्यासी ने श्रीमति मीना गर्ग धर्म पत्नी गोपाल प्रसाद व गोपाल प्रसाद पुत्र घूडमल व विनिता गर्ग धर्मपत्नी प्रकाशचन्द्र व मुकेश सिंघल पुत्र ओमप्रकाश सिंघल व ओमप्रकाश पुत्र विहारीलाल व रेवतीप्रसाद पुत्र परभाती व रमनलाल पुत्र सौनीराम व लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी परभातीलाल को विक्रय किया है।

प्रदर्श:-10, भू-प्रबंध सम्बत 2041 मिलान क्षेत्रफल है जिसमें हाल खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.34 साविक खसरा नम्बर 1205 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 3148 रकबा 0.20 साविक खसरा नम्बर 1203 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.30 साविक खसरा नम्बर 1204 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श:-11, जमाबन्दी सम्बत 2049 से 2052 हाल खसरा नम्बर 3136, 3148, 3149, 3150 की है। जिसमें वादीगण हिस्सा 1/3 के खातेदार है।

प्रदर्श:-12, जमाबन्दी सम्बत 2045 से 2048 हाल खसरा नम्बर 3136, 3148, 3149, 3150 जिसमें वादीगण हि 1/3 व प्रति 0 हि 2/3 के खातेदार है।

वादीगण एवं असल प्रति 0 व तरतीवी प्रति 0 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। जिनका सजरा वंशावली वादपत्र की मद संख्या 3 में वर्णित है। प्रति 0 संख्या 01 लगायत 13 व प्रति 0 संख्या 13/1 से 13/3 व 14 से 56 एवं 57 लगायत 72 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया है। इकबाल दावे में वादीगण के कथनों को स्वीकार किया है। सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 1 के तहत इकबाल दावा शामिल पत्रावली है। सी.पी.सी. आदेश 12 नियम 6(1) के तहत स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय जहाँ अभिवचन में यहां अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियों की जा चुकी है। वहां न्यायालय वाद के किसी प्रकरण में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न क अवधारणा की प्रतिक्षा किये बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

माननीय राजस्व मण्डल राज0अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा की गई व्यवस्था उनके लिए जिनका एक पूर्वज है या एक दूसरे का निकट सम्बन्ध है। परिवार में शांति और समन्वय लाने के लिए इसे मान्यता दी जानी चाहिए और प्रभावी करना चाहिए। उपर्युक्त विवरण अनुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3148/0.20, 3149/0.20 वाके कस्बा डीग द्वितीय की आराजी में वादी संख्या 1 शिवराम उर्फ चीमा पुत्र नारायण 1/4 हिस्से का , वादी संख्या 2 मोती पुत्र दौजी 1/16 हिस्से का एवं तरतीवी प्रति 0 संख्या 51 व 52, 1/16 हिस्से का, तरतीवी प्रति 0 संख्या 45 लगायत 50, 1/80 हिस्से के एवं


उपमण्डल अधिकारी
डोग (डोग) राज.

तरतीवी प्रति० संख्या 53 लगायत 57, 1/80 हिस्से के एवं वादी संख्या 3 मान सिंह पुत्र रामचन्द 1/4 हिस्से का एवं वादी संख्या 4 एवं तरतीवी प्रति० संख्या 58 लगायत 65, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्णित आराजी पर असल प्रति० के नाम चल रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर असल प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 3148/0.20, 3149/0.20 वाके कस्बा डीग द्वितीय की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें और अपने गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग
डोग (डोग) राज्.

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डोग (डोग) राज्.

